न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ.अटल सेवा केन्द्र रामपुरा

रा.प्रा.पत्र संख्या 147/2017

प्राथीगण बनाम अप्रार्थीगण

1— अब्दुल समद खान पुत्र स्व.अब्दुल सत्तार खांजी उम्र व्यस्क जाति मुसलमान निवासी सिरोही हाल इस्लामिया स्कूल के पास जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
2— अब्दुल समीरखान पुत्र स्व.अब्दुल सत्तार खांजी उम्र व्यस्क जाति मुसलमान निवासी सिरोही हाल इस्लामिया स्कूल जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
3— अब्दुल वहीद खान पुत्र स्व.अब्दुल सत्तार खांजी उम्र व्यस्क जाति मुसलमान निवासी सिरोही हाल इस्लामिया स्कूल के पास जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
4— अब्दुल सईद खान पुत्र स्वर्गीय अब्दुल सत्तार खांजी उम्र व्यस्क जाति मुसलमान निवासी सिरोही हाल इस्लामिया स्कूल के पास जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

1— राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, सिरोही
2— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही
3— कमलसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत नि.वेरापुरा तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :—
1— श्री रणवीरसिंह चौहान, तहसीलदार, सिरोही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
1— श्री भेरूपालसिंह बालावत, वकील, अप्रार्थी 3

रा.प्रा.पत्र अ.धा. 212 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 25—6—2018

प्रार्थीगण ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त. अधि.1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 20—7—2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि गांव पालडी तहसील सिरोही की सीमा मे खसरा नंबर 522, 523, 524, 532, 533, 534, 535 की रकबा 5 बीघा 18 विस्वा भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 446, 447, 448, 452, व 455 थे । उक्त भूमि संवत 2000 मे अब्दुल सत्ता वल्द ननेखॉ मुसलमान पठान निवासी सिरोही हाल जोधपुर माफीदार के नाम दर्ज थी । उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों को उनकी सेवाओं के उपलक्ष मे हसरोही दरबार द्वारा पूर्वकाल मे इनायत की गई थी और पटटा संख्या 36/वर्ष का स्वर्गीय श्री ननेखॉ मुसलमान के नाम जारी हुआ और उनके खातेदारी मे उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई तथा तत्पश्चात यह भूमि उनके पुत्र अब्दुल सत्तार वल्द ननेखॉ मुसलमान निवासी सिरोही के नाम माफीदार/खातेदार के रूप मे राजस्व रेकर्डपखतौनी बंदोवस्त एवं जमाबंदी मे दर्ज होती आयी है। जो अब्दुल सत्तार माफीदार के खुद काश्त मे थी । माफी (जागीर) रिज्युपसन पर प्रार्थी—अब्दुल सत्तार उक्त आराजी का खातेदार बाई आपरेशन आफ लॉ हुआ । जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम पालडी संवत 2012 से 2018 जमाबंदी खतौनी संवत 2016 मूल वाद के साथ है। जिससे यह सिद्व अर्थात प्रमाणित है कि अब्दुल सत्तार वादग्रस्त आराजी का माफीदार था व प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज॰)

Continue Page No 2

जाजारी रिज्युम्पसन खातेदार काबिज रहे है।प्रार्थीगण अब्दुल सत्तार या वारिसान ने माफी के रिज्युम्पशन का मुआवजा भी नही उठाया था । अब्दुल सत्तार प्रार्थीगण के पास उक्त मात्र 32 बीघा भूमि के अलावा सम्पूर्ण राजस्थान मे अन्यत्र कहीं पर भी कोई कृषि भूमि नही है तथा प्रार्थीगण को कम पढे लिखे होने से कोई कानूनी ज्ञान भी नही रहा है। अब्दुल सत्तार का देहान्त हो जाने से इनके कायम मुकाम वारिसान प्रार्थीगण इस भूमि पर काबिज हुये व रहे है। जिससे कानूनन उक्त कृषि भूमि अब्दुल सत्तार के बाद प्रार्थीगण के नाम बहैसियत खातेदारी के कानूनी रूप से दर्ज होनी चाहिये थी । रहमत खॉ पुत्र नत्थे खॉ प्रार्थीगण का कोई रिश्तेदार नही है न था अब्दुल सत्तार से भी कोई उसका कतई कोई रिश्ता किसी तरह का नही था न रहा नही श्री पदमा/अचला /धूपा कुम्हार पिसरान पिसरान वाला तथा देवीसिंह/गणपतसिंह मूलसिंह/पिसरान चैनसिंह वादग्रस्त माफी भूमि के कभी खुदकाश्त के आयामी अथवा बाद रिज्युम्पसन सब टिनेन्ट नही रहे । प्रार्थीगण के निवेदन पर बिना ध्यान दिये श्री रहमत खॉ ने प्रार्थीगण की जाति एक होने का लाभ उठाकर पदमा/अचला/धूपा पिसरान वाला कुम्हार से मिलीभगत कर भूमि का नाजायज लाभ उठाने हेतु षडयन्त्र रचकर तत्कालिन तहसील कार्यालय सिरोही (भू अभिलेख) मे कार्यरत ओफिस कानूननागों ने इस षडयंत्र म शामिल होकर अपने रिश्तेदार श्री देवीसिंह व गणपतसिंह व मूलसिंह के नाम से लाभ प्राप्त करने वास्ते चडयंत्र अनुसार रहेमत खॉ/पदमा/अचला/धूपा वगैरा से मिलकर उनके नाम प्रार्थीगण वारिसान की कृषि भूमि का नाजायज व षडयंत्र मुताबिक राजस्व ररेकर्ड मे गैरकानूनी तरीके से बिना कानूनी अधिकारों के मिली भगत कर खातेदारी वास्ते बिना प्रकिया अपनाये रेकर्ड मे माफी से खालसा शुमार कर जमाबंदी मे सीधा अंकित कर बिना किसी नामान्तकरण के वारिसान के बजाया षडयंत्रकारी रेहमत खॉ जो फर्जी व्यक्ति बना जिसका उक्त आराजी अथवा अब्दुल सत्तार या वारिसान से 100 पीढी मे कोई नजदीक तक का रिश्ता न होते हुये बिना किसी वैध कानूनी अधिकारों के षयंत्र मात्र व मिलावट से रेहमत खॉ/पदमा/अचला धूपा से मिलकर उनका एवं अपने नाम सीधे जमाबंदी मे खातेदार के रूप मे अवैधानिक रूप से राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलकर दर्ज करा दिया । इस प्रविष्टि के पुष्टि मे किसी नामान्तकरण अथवा नामान्तकरण के आदेशों का हवाला या रेफरेन्स भी अंकित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने रचित कूट रचना के कम मे कियान्वयन मे वादग्रस्त आराजी का एक बेचान बहक देवीसिंह/गणपतसिंह /मूलसिंही के पक्ष मे दिनांक 24–6–1968 को मात्र कागजात मे निष्पादित करवाकर बाला/म्यूटेशन स्वीकृत करवाकर दिया । जिसके फलस्वरूप देवीसिंही/गणपतसिंह /मूलसिंही पिसरान चैनसिंह दर्ज हो गया । जो म्यूटेशन भरा गया था उनका टाईटल (खातेदारी) चिन्हित नही हुअइा कानून का सव्रमान्य सिद्वान्त है कि ट्रान्सफर स्वंय मे निहित टाईटल से बेअसर टाईटली अन्तरित नही करवा एवंज ब वादग्रस्त भूमि मे उनका टाईटल इन्टरेस्ट व हित स्वामित्व ही नही बना तब अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्वजों के पक्ष मे रजिर्स्टड बेचान दिनांक 24–6–1968 निष्पादित कर देने मात्र से अप्रार्थी संख्या 3 को कभी भी अधिकार अवार्ड टाईटल अर्जित नही होते अप्रार्थीगण द्वारा की गई सब कार्यवाहियॉ कानून की दृष्टि से शून्य है। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त भूमि मे अपने दर्ज नाम अनुसार म्यूटेशन भरवाकर व अन्य दर्ज सहखातेदारों से हकतर्क करवा सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करवाकर दिनांक 4–11–2016 को सम्पूर्ण भूमि पर अवैध रूप से जबरन कब्जा कर किया है और अब प्रार्थीगण के जाने पर प्रार्थीगण से मारपीट पर उतारू हो रहे है। जिससे प्रार्थीगण के लिये यह प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने का कारण बना है। और प्रार्थनापत्र पेश है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे क्योंकि प्रार्थीगण को पूर्व रसाधिकारियों की कृषि भूमि को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज करवाई गई है तथा प्रार्थीगण के हितों के विपरित प्रभाव शून्य है। साथ ही यदि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण ईत्यादि किया जाता है तो प्रार्थीगण को अतुलनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूप्यों मे नही आंका जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार कर विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित वाद्रग्रस्त रेकर्ड मे दर्ज आराजी को तानिर्णय मूल वाद तक अप्रार्थी संख्या 3 किसी प्रकार से उक्त भूमि को आगे से आगे बेचान/हस्तान्तरण इत्यादि न तो स्वंय करने एवं नही अपने एजेण्ट ईत्यादि से करावें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें प्रकरण की गंभीरता परिस्थितियों को देखते हुये इसी अमर की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी के विरूद्व जारी करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न नक्शा किश्तवार/जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 14 खसरा नंबर 522/523/524/532/533/534/535 की रकबा 5 बीघा 18 विस्वा मिलान क्षैत्रफल जमाबंदी संवत 2000 महकमा बंदोवस्त मौजा पालडी कलक्टर सिरोही का जागीर पुनर्ग्रहण मुआवजा एवं पुनर्स्थापन अनुदान के भुगतान के लिये नोटिस अफरोजा बेगम का पत्र दिनांक 20–3–62 को जिला कलेक्टर सिरोही को लिखा उसकी छाया प्रति/जमाबंदी संवत 2049 से 2052 खसरा नंबर 446 /447/448/452/व 455 जमाबंदी संवत 2049 से 2052 खाता नंबर 50 जमाबंदी वर्ष 2012 /वर्ष 2013 जमाबंदी संवत 2022 से 2025 नामान्तकरण संख्या 47 दिनांक 9–9–68 रियासतकालीन पटटा नंबर 36 संवत 1982 का गहनतापूर्व्रक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 24–10–2016 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 25–9–2017 को उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । तथा सुनवाई पेशी दिनांक 1–12–2018 को न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से मूल वाद मे वकालतनामा श्री भेरूपालसिंह वकील द्वारा पेश करने से शामिल मिसल किया जाकर जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे समय दिया । तथा पैरोकार सरकार द्वारा भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्टेट की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

आज दिनांक 25–6–2018 को विचारण प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थीगण को केम्प कोर्ट मे हाजिर होने के नोटिस तामिल होकर प्राप्त नही हुये । दौराने सुनवाई प्रार्थी या इनके वकील कोई भी हाजिर नही है। अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही ने तथा अप्रार्थीसंख्या 3 की ओर से वकील श्री भेरूपालसिंह ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से तहसीलदार/सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि मौजा पालडी पटवार मण्डल रामपुरा के खसरा नंबर 522 से 524 व 532 से 535 कुल किता 7 का कुल क्षैत्रफल 5.18 हेक्टेयर है। रकबका 5.18 हेक्टेयर भूमि का बीघा /विस्वा मे कुल क्षैत्रफल 32.00 बीघा होता है। पुराना खसरा नंबर 446 /447/448/452 व 455 प्रार्थी की खातेदारी मे होने बाबत स्वंय सिद्व करेंगा । प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 3 मे वर्णित कथन प्रार्थी स्वंय सिद्व करें । प्रार्थनापत्र के पैरा ससंख्या 4 मे वर्णित कथनानुसार उपरोक्त पैरा ससंख्या 2 मे वर्णित आराजी जिसका नवीन खसरा नंबर पैरा संख्या 1 मे वर्णित है जिसको कूटरचित दस्तावेज के जरिये बैचान होना बताया जा रहा है जो गलत है। क्योंकि उक्त वाद मे वर्णित भूमि सन् 1968 मे बैचान की हुई है एवं ततसमय से खरीददार खातेदारों का कब्जा काश्त व विधुत सम्बन्ध है तथापित प्रार्थी उक्त बैचान दस्तावेज के कुटरचित होने से सम्बन्धित वाद सक्षम

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 4

न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकता है। वाद मे वर्णित भूमि से संबंधित मामला 1968 से है जो काफी पुराना है। वादी द्वारा वर्ष 2016 मे जबरन कब्जा का कथन बताया है जो जांच पर गलत पाया जा रहा है। उपरोक्त जवाबदावा के साथ संलग्न पटवारी हल्का रामपुरा एवं भू.अ.नि. वृत रामपुरा की संयुक्त मौका जांच फर्द तैयार की गई है जो संलग्न है।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब मे यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित खसरा नंबर की कृषि भूमि गांव पालडी पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही मे स्थित होना स्वीकार है। उक्त कृषि भूमि का रकबा 5 बीघा 18 विव्वा होना गलत होने से अस्वीकार है बल्कि वर्णित खसरा नंबरों की आराजी का रकबा 5.1800 हेक्टेयर है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 कमलसिंह व गणपतसिंह मूलसिंही पिसरान चैनसिंह के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे भी इनके नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या 3 के पिता स्व.देवसिंह एवं उनके भाई अर्थात अप्रार्थीगण संख्या 3 के चाचा गणपतसिंह मूलसिंह पिसरान चैनसिंह ने दिनांक 24–6–1968 को जरिये पंजिकृत बेचान लिखत के रूप्ये 7000/– मात्र मे पूर्व खातेदार रहमत खॉ पुत्र नत्थे खॉजी व पदमा,अचला,धूपा पिसरान वाला जाति कुम्हार निवासी नवाखेडा सिरोही से क्रय की थी । तब से आज दिन तक उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 के पिता एवं चाचा का कब्जा काश्त चला अरा है। अन्य कथन जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का कथन गलत होने से अस्वीकार कर कथन किया कि अब्दुल सतार का देहान्त किस वष्र मे हुआ है प्रार्थीगण ने स्पष्ट नही किया है। अब्दुल सतार का देहान्त होने के पश्चात प्रार्थीगण इस भूमि पर काबिज होना पूर्णतया गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अथवा अब्दुल सत्तार का वादग्रस्त आराजी पर आज तक कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त आराजी विधिनुसार रहमत खॉ पुत्र नथ्थे खॅ पदमा ,अचला धूपा पिसरान वालाजी के नाम खातेदारी मे दर्ज हहुई है। प्रार्थीगण अथवा उनके पिता अब्दुल सत्तार ने उक्त भूमि रहमत खॉ व पदमा व अन्य के नाम खातेदारी दर्ज होने बाबत कोई उजर,ऐतराज या अपील,रिवीजन नही की है। तत्पश्चात दिनांक 24–6–1968 को उक्त खातेदारों ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर जरिये पंजीकृत बेचान के देवीसिंह,गणपतसिंह,मूलसिंह पिसरान चैनसिंह को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है और नियमानुसार केतागण के नाम कब्जे का भौतिक सत्यापन कर नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण के विरूद्व भी अब्दुल सत्तार या प्रार्थीगण के द्वारा कोई अपील,रिवीजन या उज्र एतराज नही किया गया है। प्रार्ीगण अपने आचरण व कृत्य से विधि मे विबंधित है और उन्हे वाद प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण या अब्दुल सतार पिछले साठ वर्षो से अधिक समय से सिरोही मे निवास नही कर रहा है और स्थाई रूप से जोधपुर के निवासरत है। अप्रार्थी संख्या 3 के पिता एवं चाचा गणपतसिंह मूलसिंह ने उक्त आराजी क्रय करने के पश्चात लाखों रूपये व्यय कर भूमि को समतल व कृषि योग्य उपजाउ बनाया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त भूमि आराजी अपने पिता से वारीसान मे मिली है एवं उत्तराधिकारी नामान्तकरण से उक्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 3 के माता एवं बहन का जो हिस्सा था वह नियमानुसार एवं विधि अनुसार जरिये पजीकृत हक तर्कनामा से हक तर्क करवाकर नामान्तकरण अपने नाम करवाया है। उक्त सम्पूर्ण्र आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 कमलसिंह के अलावा उसके चाचा गणपतसिंह,मूलसिंह,का भी हक हिस्सा आता है एवं उक्त भूमि पर राजस्व रेकार्ड अनुसार कमलसिंह,गणपतसिंह व मूलसिंह का 1/3,1/3

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 5

हक हिस्से के स्वामी है। अप्रार्थीगण के मात्र कापनिक कथनों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अन्य कथन मारपीट करने जबरन कब्जा करने आदि के मिथ्या व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। जब अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर गत 50 वर्षो से निर्बाध व निरन्तर कब्जा चलता आ रहा है तो बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण को पदो मे वर्णित मिथ्या व काल्पनिक कथनों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुति का कोई कारण व आधार पैदा नही होता है तथा विधि अनुसार खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ कोई प्रकरण नही है तथा न ही कोई सुविधा का संतुलन है। अप्रार्थीगण संख्या 3 व उनके चाचा गणपतसिंह मूलसिंह का उक्त कृषि भूमि पर गत 50 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त व खेती करते आ रहे है। अप्रार्थीगण व उनके चाचा ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है। यदि प्रार्थीगण के हक मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण संख्या 3 को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूप्यों मे नही आंका जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 का जवाब रेकर्ड पर लेकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का मय हर्जे व खर्चे के खारीज कराना फरमावें ।

आज विचारण प्रकरण की राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट रामपुरा मे सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक स्वंय या इनके वकील को केम्पकोर्ट की जानकारी होने के बावजूद हाजिर नही हुये है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्टेट की ओर से स्वंय तहसीलदार/सिरोही उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री भेरूपालसिंह हाजिर हुये ।

प्रार्थीगण ने जरिये प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट के मुताबिक प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि गांव पालडी तहसील सिरोही की सीमा मे खसरा नंबर 522/523/524/532/533/534/535 की रकबा 5 बीघा 18 विस्वा भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 446/447/448/452/व 455 थे । उक्त भूमि संवत 2000 मे अब्दुल सत्ता वल्द ननेखॉ मुसलमान पठान निवासी सिरोही हाल जोधपुर माफीदार के नाम दर्ज थी । उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों को उनकी सेवाओं के उपलक्ष मे हसरोही दरबार द्वारा पूर्वकाल मे इनायत की गई थी और पटटा संख्या 36/वर्ष का स्वर्गीय श्री ननेखॉ मुसलमान के नाम जारी हुआ और उनके खातेदारी मे उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई तथा तत्पश्चात यह भूमि उनके पुत्र अब्दुल सत्तार वल्द ननेखॉ मुसलमान निवासी सिरोही के नाम माफीदार/खातेदार के रूप मे राजस्व रेकर्डपखतौनी बंदोवस्त एवं जमाबंदी मे दर्ज होती आयी है। जो अब्दुल सत्तार माफीदार के खुद काश्त मे थी । माफी (जागीर) रिज्युपसन पर प्रार्थी–अब्दुल सत्तार उक्त आराजी का खातेदार बाई आपरेशन आफ लॉ हुआ । जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम पालडी संवत 2012 से 2018 जमाबंदी खतौनी संवत 2016 मूल वाद के साथ है। जिससे यह सिद्व अर्थात प्रमाणित है कि अब्दुल सत्तार वादग्रस्त आराजी का माफीदार था व प्रार्थीगण जाजारी रिज्युम्पसन खातेदार काबिज रहे है।प्रार्थीगण अब्दुल सत्तार या वारिसान ने माफी के रिज्युम्पशन का मुआवजा भी नही उठाया था । अब्दुल सत्तार प्रार्थीगण के पास उक्त मात्र 32 बीघा भूमि के अलावा सम्पूर्ण राजस्थान मे अन्यत्र कहीं पर भी कोई कृषि भूमि नही है तथा प्रार्थीगण को कम पढे लिखे होने से कोई कानूनी ज्ञान भी नही रहा है। अब्दुल सत्तार का देहान्त हो जाने से इनके कायम मुकाम वारिसान प्रार्थीगण इस भूमि पर काबिज हुये व रहे है।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 6

जिससे कानूनन उक्त कृषि भूमि अब्दुल सत्तार के बाद प्रार्थीगण के नाम बहैसियत खातेदारी के कानूनी रूप से दर्ज होनी चाहिये थी । रहमत खॉ पुत्र नत्थे खॉ प्रार्थीगण का कोई रिश्तेदार नही है न था अब्दुल सत्तार से भी कोई उसका कतई कोई रिश्ता किसी तरह का नही था न रहा नही श्री पदमा/अचला/धूपा कुम्हार पिसरान पिसरान वाला तथा देवीसिंह/गणपतसिंह मूलसिंह/पिसरान चैनसिंह वादग्रस्त माफी भूमि के कभी खुदकाश्त के आयामी अथवा बाद रिज्युम्पसन सब टिनेन्ट नही रहे । प्रार्थीगण के निवेदन पर बिना ध्यान दिये श्री रहमत खॉ ने प्रार्थीगण की जाति एक होने का लाभ उठाकर पदमा/अचला/धूपा पिसरान वाला कुम्हार से मिलीभगत कर भूमि का नाजायज लाभ उठाने हेतु षडयन्त्र रचकर तत्कालिन तहसील कार्यालय सिरोही (भू अभिलेख) मे कार्यरत ओफिस कानूननागों ने इस षडयंत्र म शामिल होकर अपने रिश्तेदार श्री देवीसिंह व गणपतसिंह व मूलसिंह के नाम से लाभ प्राप्त करने वास्ते चडयंत्र अनुसार रहेमत खॉ/पदमा/अचला/धूपा वगैरा से मिलकर उनके नाम प्रार्थीगण वारिसान की कृषि भूमि का नाजायज व षडयंत्र मुताबिक राजस्व ररेकर्ड मे गैरकानूनी तरीके से बिना कानूनी अधिकारों के मिली भगत कर खातेदारी वास्ते बिना प्रक्रिया अपनाये रेकर्ड मे माफी से खालसा शुमार कर जमाबंदी मे सीधा अंकित कर बिना किसी नामान्तकरण के वारिसान के बजाया षडयंत्रकारी रेहमत खॉ जो फर्जी व्यक्ति बना जिसका उक्त आराजी अथवा अब्दुल सत्तार या वारिसान से 100 पीढी मे कोई नजदीक तक का रिश्ता न होते हुये बिना किसी वैध कानूनी अधिकारों के षयंत्र मात्र व मिलावट से रेहमत खॉ/पदमा /अचला धूपा से मिलकर उनका एवं अपने नाम सीधे जमाबंदी मे खातेदार के रू॰ मे अवैधानिक रू॰ से राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलकर दर्ज करा दिया । इस प्रविष्टि के पुष्टि मे किसी नामान्तकरण अथवा नामान्तकरण के आदेशों का हवाला या रेफरेन्स भी अंकित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने रचित कूट रचना के क्रम मे कियान्वयन मे वादग्रस्त आराजी का एक बेचान बहक देवीसिंह/गणपतसिंह/मूलसिंही के पक्ष मे दिनांक 24–6–1968 को मात्र कागजात मे निष्पादित करवाकर बाला/म्यूटेशन स्वीकृत करवाकर दिया । जिसके फलस्वरूप देवीसिंही/गणपतसिंह/मूलसिंही पिसरान चैनसिंह दर्ज हो गया । जो म्यूटेशन भरा गया था उनका टाईटल (खातेदारी) चिन्हित नही हुअइा कानून का सव्रमान्य सिद्वान्त है कि ट्रान्सफर स्वंय मे निहित टाईटल से बेअसर टाईटली अन्तरित नही करवा एवंज ब वादग्रस्त भूमि मे उनका टाईटल इन्टरेस्ट व हित स्वामित्व ही नही बना तब अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्वजों के पक्ष मे रजिर्स्टड बेचान दिनांक 24–6–1968 निष्पादित कर देने मात्र से अप्रार्थी संख्या 3 को कभी भी अधिकार अवार्ड टाईटल अर्जित नही होते अप्रार्थीगण द्वारा की गई सब कार्यवाहियॉ कानून की दृष्टि से शून्य है। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त भूमि मे अपने दर्ज नाम अनुसार म्यूटेशन भरवाकर व अन्य दर्ज सहखातेदारों से हकतर्क करवा सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करवाकर दिनांक 4–11–2016 को सम्पूर्ण भूमि पर अवैध रू॰ से जबरन कब्जा कर किया है और अब प्रार्थीगण के जाने पर प्रार्थीगण से मारपीट पर उतारू हो रहे है। जिससे प्रार्थीगण के लिये यह प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने का कारण बना है। और प्रार्थनापत्र पेश है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे क्योंकि प्रार्थीगण को पूर्व रसाधिकारियों की कृषि भूमि को गलत रू॰ से अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज करवाई गई है तथा प्रार्थीगण के हितों के विपरित प्रभाव शून्य है। साथ ही यदि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण ईत्यादि किया जाता है तो प्रार्थीगण को अतुलनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूप्यों मे नही आंका जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 7

कर विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित वादग्रस्त रेकर्ड मे दर्ज आराजी को तानिर्णय मूल वाद तक अप्रार्थी संख्या 3 किसी प्रकार से उक्त भूमि को आगे से आगे बेचान/हस्तान्तरण इत्यादि न तो स्वंय करने एवं नही अपने एजेण्ट ईत्यादि से करावें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें प्रकरण की गंभीरता परिस्थितियों को देखते हुये इसी अमर की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी के विरूद्व जारी करना फरमावें ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा पालडी पटवार मण्डल रामपुरा के खसरा नंबर 522 से 524 व 532 से 535 कुल किता 7 का कुल क्षैत्रफल 5.18 हेक्टेयर है। रकबका 5.18 हेक्टेयर भूमि का बीघा /विस्वा मे कुल क्षैत्रफल 32.00 बीघा होता है। पुराना खसरा नंबर 446/447/448/452 व 455 प्रार्थी की खातेदारी मे होने बाबत स्वंय सिद्व करेंगा । प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 3 मे वर्णित कथन प्रार्थी स्वंय सिद्व करें । प्रार्थनापत्र के पैरा ससंख्या 4 मे वर्णित कथनानुसार उपरोक्त पैरा ससंख्या 2 मे वर्णित आराजी जिसका नवीन खसरा नंबर पैरा संख्या 1 मे वर्णित है जिसको कूटरचित दस्तावेज के जरिये बैचान होना बताया जा रहा है जो गलत है। क्योंकि उक्त वाद मे वर्णित भूमि सन् 1968 मे बैचान की हुई है एवं तत्समय से खरीददार खातेदारों का कब्जा काश्त व विधुत सम्बन्ध है तथापित प्रार्थी उक्त बैचान दस्तावेज के कुटरचित होने से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकता है। वाद मे वर्णित भूमि से संबंधित मामला 1968 से है जो काफी पुराना है। वादी द्वारा वर्ष 2016 मे जबरन कब्जा का कथन बताया है जो जांच पर गलत पाया जा रहा है।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वर्णित खसरा नंबर की कृषि भूमि गांव पालडी पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही मे स्थित होना स्वीकार है। उक्त कृषि भूमि का रकबा 5 बीघा 18 विस्वा होना गलत होने से अस्वीकार है बल्कि वर्णित खसरा नंबरों की आराजी का रकबा 5.1800 हेक्टेयर है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 कमलसिंह व गणपतसिंह /मूलसिंही पिसरान चैनसिंह के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे भी इनके नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या 3 के पिता स्व.देवीसिंह एवं उनके भाई अर्थात अप्रार्थीगण संख्या 3 के चाचा गणपतसिंह /मूलसिंह पिसरान चैनसिंह ने दिनांक 24–6–1968 को जरिये पंजिकृत बेचान लिखत के रूप्ये 7000/– मात्र मे पूर्व खातेदार रहमत खॉ पुत्र नत्थे खॉजी व पदमा/अचला/धूपा पिसरान वाला जाति कुम्हार निवासी नवाखेडा सिरोही से क्रय की थी । तब से आज दिन तक उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 के पिता एवं चाचा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। बहस मे आगे यह निवेदन किया कि अब्दुल सतार का देहान्त किस वर्ष्र मे हुआ है प्रार्थीगण ने स्पष्ट नही किया है। अब्दुल सतार का देहान्त होने के पश्चात प्रार्थीगण इस भूमि पर काबिज होना पूर्णतया गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अथवा अब्दुल सत्तार का वादग्रस्त आराजी पर आज तक कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त आराजी विधिनुसार रहमत खॉ पुत्र नथ्थे खॅ पदमा /अचला धूपा पिसरान वालाजी के नाम खातेदारी मे दर्ज हहुई है। प्रार्थीगण अथवा उनके पिता अब्दुल सत्तार ने उक्त भूमि रहमत खॉ व पदमा व अन्य के नाम खातेदारी दर्ज होने बाबत कोई उजर/ऐतराज या अपील/रिवीजन नही की है। तत्पश्चात दिनांक 24–6–1968 को उक्त खातेदारों ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर जरिये पंजीकृत बेचान के देवीसिंह/गणपतसिंह/मूलसिंह पिसरान चैनसिंह को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है और नियमानुसार क्रेतागण के नाम कब्जे का भौतिक सत्यापन कर नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण के विरूद्व भी अब्दुल सत्तार या प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 8

के द्वारा कोई अपील/रिवीजन या उज्र एतराज नही किया गया है। प्रार्थीगण अपने आचरण व कृत्य से विधि मे विबंधित है और उन्हे वाद प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण या अब्दुल सतार पिछले साठ वर्षो से अधिक समय से सिरोही मे निवास नही कर रहा है और स्थाई रूप से जोधपुर के निवासरत है। अप्रार्थी संख्या 3 के पिता एवं चाचा गणपतसिंह मूलसिंह ने उक्त आराजी क्रय करने के पश्चात लाखों रूपये व्यय कर भूमि को समतल व कृषि योग्य उपजाउ बनाया है। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त भूमि आराजी अपने पिता से वारीसान मे मिली है एवं उत्तराधिकारी नामान्तकरण से उक्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 3 के माता एवं बहन का जो हिस्सा था वह नियमानुसार एवं विधि अनुसार जरिये पजीकृत हक तर्कनामा से हक तर्क करवाकर नामान्तकरण अपने नाम करवाया है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 कमलसिंह के अलावा उसके चाचा गणपतसिंह/मूलसिंह/का भी हक हिस्सा आता है एवं उक्त भूमि पर राजस्व रेकार्ड अनुसार कमलसिंह/गणपतसिंह व मूलसिंह का 1/3-1/3 हक हिस्से के स्वामी है। जब अप्रार्थीगण संख्या 3 का वादग्रस्त भूमि पर गत 50 वर्षो से निर्बाध व निरन्तर कब्जा चलता आ रहा है तो बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। विधि अनुसार खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ कोई प्रकरण नही है तथा न ही कोई सुविधा का संतुलन है। अप्रार्थीगण संख्या 3 व उनके चाचा गणपतसिंह मूलसिंह का उक्त कृषि भूमि पर गत 50 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त व खेती करते आ रहे है। अप्रार्थीगण व उनके चाचा ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है। यदि प्रार्थीगण के हक मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण संख्या 3 को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों मे नही आंका जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 का जवाब रेकर्ड पर लेकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का मय हर्जे व खर्चे के खारीज कराना फरमावें ।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र/जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा जवाब अप्रार्थी संख्या 3 तथा पत्रावली के संलग्न समस्त राजस्व रेकर्ड प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही व अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील भेरूपालसिंह द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर भी गंभीरता से मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 522/523/524/532/533/534/535 की रकबा 5 बीघा 18 विस्वा भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 446/447/448/452/व 455 थे । उक्त भूमि का जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 14 के अनुसार खातेदार कृषक कमलसिंह पुत्र देवीसिंह अप्रार्थी संख्या 3 व गणपतसिंह व मूलसिंह पिसरान चेनसिंह है। तथा अप्रार्थी संख्या 3 उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर गत 50 वर्षो से निरन्तर निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है। अप्रार्थीगण व उनके चाचा ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है। विचारण प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने जबरन कब्जा करने आदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही होना पाया है। अप्रार्थी संख्या 1 के बारे मे अप्रार्थी संख्या 3 को कोई जानकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त भूमि आराजी अपने पिता से वारिसान मे

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 9

मिली है एवं उत्तराधिकारी नामान्तकरण से उक्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 3 के माता एवं बहन का जो हिस्सा था वह नियमानुसार एवं विधि अनुसार जरिये पंजीकृत हक तर्कनामा से हक तर्क करवाकर नामान्तकरण अपने नाम करवाया है। उक्त सम्पूण्र आराजी पर अप्रार्थीगण संख्या 3 कमलसिंह के अलावा उसके चाचा गणपतसिंह मूलसिंही का भी हक हिस्सा आता है एवं उक्त भूमि पर राजस्व रेकार्ड अनुसार कमलसिंह गणपतसिंह व मूलसिंह का 1/3 1/3 हक हिस्से के स्वामी है। अप्रार्थीगण के मात्र काल्पनिक कथनों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टयॉ कोई प्रकरण नही है तथा न ही कोई सुविधा का संतुलन है। अप्रार्थीगण संख्या 3 व उनके चाचा गणपतसिंह मूलसिंह का उक्त कृषि भूमि पर गत 50 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त व खेती करते आ रहे है। अप्रार्थीगण व उनके चाचा ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है। यदि प्रार्थीगण के ह कमे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है ततो अप्रार्थीगण संख्या 3 को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों मे नही आंका जा सकता है। अधिनियम की धारा 212 के अर्न्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले मे संबंधित पक्षकार को अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण जो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल एवं प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य पर आधारित हो प्रमाणित करना होता है परन्तु इस प्रकरण मे प्रार्थी के पक्ष मे न तो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल है तथा न ही प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य ही प्रमाणित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है। निर्णय राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

25/6/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

25/6/18

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही